क्रम संख्या---798(क)

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 जून, 1989

ज्येष्ठ 26, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग---1

संख्या 1031 / सत्रह-वि-1-1(क) 20-1989

लखनऊ, 16 जून, 1989

अधिसूचना

विविध

"भरत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 13 जून, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक संशोधन अधिनियम, 1989 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1964 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द "सहकारी भूमि विकास बैंकों" के स्थान पर शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों" रख दिये जायेंगे।

प्रस्तावना का संशोधन

3--मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" रख दिये जायेंगे और शब्द "सहकारी भूमि विकास बैंकों" के स्थान पर शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों" रख दिये जायेंगे।

विविध धाराओं का संशोधन

4--मूल अधिनियम की किसी भी धारा में, जहां-जहां भी--

(क) शब्द "सहकारी भूमि विकास बैंक" या उनके व्याकरणिक रूपभेद आये हों, उनके स्थान पर यथास्थिति, शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके तत्समान व्याकरणिक रूपभेद रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "राज्य भूमि विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "भूमि विकास बैंक" या उनके व्याकरणिक रूपभेद आये हों, उनके स्थान पर, यथास्थिति, शब्द "कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके तत्समान व्याकरणिक रूपभेद रख दिये जायेंगे;

(घ) शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" रख दिये जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ग) में, शब्द "सामान्यतया भूमि के सुधार और कृषि से सम्बन्धित अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिये" के स्थान पर शब्द "सामान्यतया कृषि और ग्रामीण विकास के लिये, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन निर्माण भी है" रख दिये जायेंगे, और शब्द "उस पर प्रभार पर" के पश्चात् शब्द "या चल सम्पत्ति की गिरवी पर" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 6 में,--

(क) उपधारा (1) में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऋण पत्र ऐसे निदेशों या अनुदेशों से, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर ऐण्ड रूरल डेवलपमेन्ट द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, भिन्न रूप में नहीं जारी किये जायेंगे।;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बीस वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "गिरवी पर" के पश्चात् शब्द "या राज्य सरकार द्वारा बिना शर्त प्रत्याभूति के प्रति किसी ऋण अभिपत्र" बढ़ा दिये जायेंगे।

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

धन उधार लेने की शक्ति

"9-क--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, मण्डल राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर ऐण्ड रूरल डेवलपमेन्ट या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से जैसा न्यासधारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, धन उधार ले सकता है।"

धारा 11 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (2) में, शब्द "कृषि जोत" के पश्चात् और शब्द "भूमि" के पश्चात् दोनों शब्द "या अन्य अचल सम्पत्ति" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(5) इस धारा के अधीन किसी कृषि जोत या किसी अन्य अचल सम्पत्ति या उसमें किसी हित का विक्रय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157-क और 157-ख के उपबन्धों के अधीन होगा।"

धारा 21-क का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 21-क में,--

(क) शब्द "चाहे वे अन्तरणीय अधिकार वाले हों या नहीं" के पश्चात् कामा और शब्द "असामियों" बढ़ा दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "ऐसे भूमिधर" के पश्चात् कामा और शब्द "असामी" बढ़ा दिये जायेंगे।

नई धारा 21-ख और 21-ग का बढ़ाया जाना

11--मूल अधिनियम की धारा 21-क के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन

"21-ख (1) कोई व्यक्ति जो किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से अपनी चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, सम्यक् रूप से स्टाम्पित पत्र पर लिखित घोषणा कर सकता है कि वह उसके द्वारा ऐसे बैंक के पक्ष में ऐसी सम्पत्ति को गिरवी रखता है।

(2) जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जो किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो ऋण प्राप्त करने के लिये पर्याप्त मूल्य की सम्पत्ति न हो, तब उसे ऐसे बैंक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी नियत की जाय, बैंक के संतोषानुसार प्रतिभू प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

इस अधिनियम के उपबन्ध गिरवी, पर लागू होंगे

21-ग--इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन लिये गये प्रभारी और रखे गये बन्धकों के संबंध में बनाये गये नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन गिरवी रखी गयी चल सम्पत्ति पर लागू होंगे।"

धारा 26 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(ग) परिवार के लिये ग्रामीण निवास-गृहों का निर्माण।"

धारा 28 का प्रतिस्थापन

13--मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्,--

अन्य अधिनियमों में बैंकों के लिये किया गया अभिदेश किस प्रकार समझा जायगा

"28 (1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से, किसी विधि या परिनियत संलेख में--

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक या उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक के लिये किया गया कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा;

(ख) किसी भूमि बंधक बैंक या किसी भूमि विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या किसी भूमि विकास बैंक का नाम निबन्धक द्वारा लिखित आदेश से उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक या, यथास्थिति, कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा और ऐसे बैंक का मूल प्रमाण-पत्र और उपविधियां तदनुसार संशोधित हो जायेंगी और निबन्धक के आदेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन समिति द्वारा सम्यक् रूप से नाम परिवर्तित किया गया समझा जायगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के पक्ष में कोई बन्धक सीधे निष्पादित किया जाय, वहां धारा 14, 20, 22, 23, 26, और 27 म कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किये गये सभी अभिदेश उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No 1031 2) XVII-V—1-1 KA -20 1989

Dated Lucknow, June 16, 1989

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Bhumi Vikas Bank (Sanshodhan) Adhiniyam 1989 Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1989 as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on June 13, 1989

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE LAND DEVELOPMENT BANKS (AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. ACT No. 16 of 1989)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Amendment) Act, 1989.

Amendment of long title of U.P. Act no. XVI of 1964.

2. In the long title of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words "Co-operative Land Development Banks" the words "Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks" shall be *substituted*.

Amendment of Preamble

3. In the preamble of the principal Act, *for* the words "Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank" the words "Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank" and for the words "Co-operative Land Development Banks" the words "Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks" shall be *substituted*.

Amendment of various sections

4. Wherever in any section of the principal Act—

(*a*) the words "Co-operative Land Development Bank" or its grammatical variation occurs, the words "Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank" or its corresponding grammatical variation, as the case may be, shall be *substituted* ;

(*b*) the words "State Land Development Bank" occurs the words "Rajya Krishi Evam Gramya Vikas Bank" shall be *substituted* ;

(*c*) the words "land development bank" or its grammatical variation occurs, the words "krishi evam gramya vikas bank" or its corresponding grammatical variation, as the case may be, shall be *substituted* ;

(*d*) the words "Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank" occur, the words "Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank" shall be *substituted*.

Amendment of section 2

5. In section 2 of the principal Act, in clause (*c*), *after* the words "charge on immovable property" the words "or on hypothecation of movable property" shall be inserted, and for the words "generally for improvement of land and other productive purposes connected with agriculture" the words "generally for agricultural and rural development including construction of dwelling houses in rural areas" shall be *substituted*.

Amendment of section 6

6. In section 6 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :

"Provided that no debenture shall be issued otherwise than in conformity with such directions or instructions as may be issued by the Reserve Bank of India, or the National Bank for Agriculture and Rural Development, from time to time." ;

(*b*) in sub-section (2), *for* the words "ten years" the words "twenty years" shall be *substituted* :

(*c*) in sub-section (3), in clause (*a*), *after* the words "or hypothecation" the words "or any loan advanced against the unconditional guarantee by the State Government" shall be *inserted*.

Insertion of new section 9-A

7. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Power to borrow money

"9-A. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, the Board may borrow money from the State Government or the Reserve Bank of India, or the National Bank for Agriculture and Rural Development or such other financial institutions, as may be approved by the Trustee."

Amendment of section 11

8. In section 11 of the principal Act, in sub-section (2), *after* the words "agricultural holding" as also after the words "acquisition of land" the words "or other immovable property" shall be *inserted*.

Amendment of section 16

9. In section 16 of the principal Act, *after* sub-section(4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(5) A sale under this section of an agricultural holding or any other immovable property or of any interest therein shall be subject to the provisions of sections 157-A and 157-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950."

Amendment of section 21-A

10. In section 21-A of the principal Act—

(*a*) *after* the words "transferable rights or not" a coma and words, "Asamis" shall be *inserted*,

(*b*) *after* the words "such bhumidar" a coma and word, "Asami" shall be *inserted*.

Insertion of new sections 21-B and 21-C

11. *After* section 21-A of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Creation of charge in favour of Krishi Evam Gramya Vikas Bank or Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank.

"21-B (1) A person desirous of securing financial assistance from a Krishi Evam Gramya Vikas Bank or the Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank by hypothecation of movable property owned by him may make a declaration in writing on a duly stamped paper that he thereby hypothecates such property in favour of such Bank.

(2) When a person desirous of securing financial assistance from a Krishi Evam Gramya Vikas Bank or the Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank does not possess property of sufficient value to secure the loan, financial assistance may be provided to him by such bank on furnishing sureties to the satisfaction of the Bank subject to such conditions, if any, as may be prescribed.

Provisions of this Act to apply to hypothecation

21-C. The provisions of this Act and rules made thereunder relating to charges and mortgages made under this Act shall *mutatis mutandis* apply to hypothecation of movable property made under this Act."

Amendment of section 26

12. In section 26 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*c*) Construction of rural dwelling houses for the family."

Substitution of section 28

13. *For* section 28 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"28. (1) With effect from the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Amendment) Act, 1989, any reference in any law or statutory instrument—

References to banks in other Acts how construed

(*a*) to U. P. State Co-operative Land Mortgage Bank, or Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank or Uttar Pradesh State Land Development Banks, shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Rajya Krishi Evam Gramya Vikas Bank,

(*b*) to a land mortgage bank or a land development bank shall be construed as a reference to a Krishi Evam Gramya Vikas Bank.

(2) The name of the Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank or a land development bank existing on the date of commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Amendment) Act, 1989 shall be changed as the Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank, or as the case may be, Krishi Evam Gramya Vikas Bank, by the Registrar by order in writing and the original certificate and bye-laws of such bank shall stand amended accordingly and such change of name, made under order of the Registrar, be deemed to be a change of name duly effected by the society under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

(3) Where a mortgage is executed by a person directly in favour of the Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank, all references to Krishi Evam Gramya Vikas Bank in sections 14, 20, 22, 23, 26 and 27 shall be deemed to be references to the Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank."

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv

पी० एस० डब्लू० पी०—ए० पी० 312 राजपत्र (हि०)—(842)—1989—1830 (मेकेo)।